अनुदान संख्या 104 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 104–MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	7262,00,00		7275,09,00	6764,21,10	–510,87,90
पूरक	Supplementary	13,09,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					151,44,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (51087.90 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1309.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.51087.90 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1309.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251'' सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	1604.00			
पू.	S.	275.00	1873.05	1590.25	–282.80
पु.	R.	–5.95			
मुख्य शीर्ष "2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	60221.00			
पू.	S.	785.00	48500.72	34997.44	–13503.28
पु.	R.	–12505.28			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2236" पोषण	Major Head "2236" Nutrition				
मू.	O.	1833.00			
पू.	S.	249.00	1402.09	1352.41	–49.68
पु.	R.	–679.91			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	72000.00	3500.00	. .	–3500.00
पु.	R.	–68500.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	584133.00	649753.60	632605.36	–17148.24
पु.	R.	65620.60			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	6409.00	7335.00	5875.64	–1459.36
पु.	R.	926.00			

(I) 114480.00 लाख रु. का प्रावधान छियालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 113358.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" -

(I) Provision of Rs.114480.00 lakhs remained wholly unutilised under forty six heads; of these Rs.113358.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare" -

(क) ''बाल कल्याण'' - एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 5000.00 लाख रु.आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से स्कीम के अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण थे।

(ख) ''महिला कल्याण'' -

(i) ''स्वयंसिद्धा'' - 4978.00 लाख रु. (8.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(ii) ''बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास'' - 3600.00 लाख रु.; और

(iii) ''प्रियदर्शिनी'' - 2300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण'' -

(i) ''कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 1000.00 लाख रु.;

(ii) ''राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल विकास संस्थान'' - 350.00 लाख रु.; और

(iii) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 63480.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) ''एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 2000.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(a) "Child Welfare - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" - Rs.5000.00 lakhs - due to delay in receipt of approval of the scheme from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(b) "Women's Welfare" -

(i) "Swayamsidha" – Rs.4978.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.8.00 lakhs);

(ii) "Relief to and Rehabilitation of Rape Victims" – Rs.3600.00 lakhs; and

(iii) "Priyadarshini" - Rs.2300.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of approval of the scheme from the Competent Authority.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare-Child Welfare" -

(i) "Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers" – Rs.1000.00 lakhs;

(ii) "National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD)" – Rs.350.00 lakhs; and

(iii) "Integrated Child Development Services" - Rs.63480.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iv) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" - Rs.2000.00 lakhs - due to delay in receipt of approval of the scheme from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(ख) ''समाज कल्याण - महिला कल्याण'' -

(i) ''कामकाजी महिलाओं के लिए आवास'' - 200.00 लाख रु.;

(ii) ''अल्पवास गृह - 160.00 लाख रु.;

(iii) ''प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता'' - 370.00 लाख रु.;

(iv) ''केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड'' - 260.00 लाख रु.;

(v) ''स्वाधार'' - 200.00 लाख रु.;

(vi) ''बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास'' - 400.00 लाख रु;

(vii) ''स्वयंसिद्धा'' - 2000.00 लाख रु.;

(ग) ''समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन'' - 480.00 लाख रु.; और

(घ) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के सामाजिक अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक स्कीमों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''समाज कल्याण - महिला कल्याण''

(i) ''स्वयंसिद्धा'' - 11550.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(b) "Social Welfare – Women's Welfare" -

(i) "Hostels for Working women" - Rs.200.00 lakhs;

(ii) "Short Stay Home" - Rs.160.00 lakhs;

(iii) "Support to Training and Employment Programme" – Rs.370.00 lakhs;

(iv) "Central Social Welfare Board" – Rs.260.00 lakhs;

(v) "Swadhar" - Rs.200.00 lakhs;

(vi) "Relief to and Rehabilitation of Rape Victims- Rs.400.00 lakhs;

(vii) "Swayamsidha" – Rs.2000.00 lakhs;

(c) "Social Welfare – Other Expenditure- Information, Mass Education and Publication"– Rs.480.00 lakhs; and

(d) "Social Welfare – Correctional Services- Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustments" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Social Welfare – Women's Welfare" -

(i) "Swayamsidha" - Rs.11550.00 lakhs – due to non-receipt of approval of the scheme from Competent Authority.

(ii) ''अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास संबंधी स्कीम'' - 350.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलंब होने और व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''सामाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 11722.00 लाख रु. स्कीम के चरण-II का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''समाज कल्याण - महिला कल्याण'' - स्वयंसिद्धा'' - 1480.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''सामाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 1278.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - महिला और बाल विकास मंत्रालय'' - 1604.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 275.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1879.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 288.75 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रस्तावों के उनके औचित्य के बिना होने और कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' -

(क) ''बाल कल्याण'' -

(i) ''राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल विकास संस्थान'' - 2550.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 228.50

(ii) "Scheme for Leadership Development of Minority Women" – Rs.350.00 lakhs – due to delay in receipt of approval of the Scheme and non-receipt of sufficient viable proposals.

(b) "Social Welfare - Child Welfare - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – Rs.11722.00 lakhs – due to non-receipt of approval of Phase-II of the scheme.

(D) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Social Welfare – Women's Welfare - Swayamsidha" - Rs.1480.00 lakhs – due to non-receipt of approval of the scheme from the Competent Authority.

(b) "Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – Rs.1278.00 lakhs – due to delay in receipt of approval of the scheme from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly untilised as shown against each:-

(A) Major Head "2251" – Secretariat – Ministry of Women and Child Development" - the original provision of Rs.1604.00 lakhs was augmented to Rs.1879.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.275.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.288.75 lakhs (including supplementary grant) - due to lack of proposals with justifications and receipt of less bills.

(B) Major Head "2235" – "Social Welfare" –

(a) "Child Welfare" -

(i) "National Institute of Public Co-operation and Child Development" - the original

लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2778.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 797.76 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सक्षम प्राधिकारी से विस्तार योजना का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

provision of Rs.2550.00 lakhs was augmented to Rs.2778.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.228.50 lakhs. However, there was a saving of Rs.797.76 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of approval of expansion plan from the competent authority.

(ii) ''केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण'' - 380.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 400.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 160.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संगठन से व्यवहार्य प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "Central Adoption Resource Agency (CARA)" - the original provision of Rs.380.00 lakhs was augmented to Rs.400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.160.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of viable proposal from the organization .

(iii) ''राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग''- 700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 43.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 743.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 175.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आयोग की पूरी संख्या उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(iii) "National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)" - the original provision of Rs.700.00 lakhs was augmented to Rs.743.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.43.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.175.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-availability of full strength of the Commission.

(ख) ''महिला कल्याण'' -

(b) "Women's Welfare" -

(i) ''राष्ट्रीय महिला आयोग (नया)'' - 725.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 28.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 753.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 82.18 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आयोग से मांग पूर्ण औचित्य सहित प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "National Commission for Women (New)" - the original provision of Rs.725.00 lakhs was augmented to Rs.753.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.28.50 lakhs. However, there was a saving of Rs.82.18 lakhs (including supplementary grant) - due to non- receipt of demand with full justification from the commission.

(ii) ''केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड'' - 3665.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 456.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4121.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 561.47 लाख रु. की बचत (पूरक

(ii) "Central Social Welfare Board (CSWB)" - the original provision of Rs.3665.00 lakhs was augmented to Rs.4121.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.456.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.561.47 lakhs (including

अनुदान सहित) स्कीम की ब्योरेवार समीक्षा प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

supplementary grant) - due to detailed review of scheme being under process.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2236'' - ''सामान्य - पोषण शिक्षा तथा विस्तार - पोषण संबंधी एकीकृत शिक्षा'' - 900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 907.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 448.75 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) माता-बालक कार्ड के मुद्रण की स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) Major Head "2236" – "General – Nutrition Education and Extension - Integrated Education in Nutrition" –the original provision of Rs.900.00 lakhs was augmented to Rs.907.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.448.75 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalisation of scheme for printing of Mother-Child Card.

(III) मुख्य शीर्ष ''2236'' - ''सामान्य - निदेशन तथा प्रशासन - भोजन और पोषण बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय'' के अंतर्गत 883.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 242.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1125.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, प्रस्तावों के उनके ब्योरेवार औचित्य के साथ प्राप्त न होने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की प्रस्तावित सभा आयोजित न किए जाने के कारण 230.84 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2236" – "General – Direction and Administration - Food and Nutrition Board and its Regional Offices" – the original provision of Rs.883.00 lakhs was augmented to Rs.1125.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.242.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.230.84 lakhs – due to non-receipt of proposals with detailed justification and non-holding of the proposed convocation of Anganwadi workers/ helpers.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''बाल कल्याण'' -

(A) "Child Welfare" -

(क) ''कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 858.62 लाख रु. की बचत (9610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers" - saving of Rs.858.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9610.00 lakhs) was due to non- receipt of sufficient number of viable proposals.

(ख) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 2731.67 लाख रु. की बचत (4220.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों और संबंधित संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Integrated Child Development Services" – saving of Rs. 2731.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4220.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the States and concerned organizations.

(ग) ''बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम'' - 304.84 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों से ब्योरेवार औचित्य के साथ प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Conditioned Cash Transfer Scheme for Girl Child with insurance cover" - saving of Rs.304.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals with detailed justification from State Governments of Uttar Pradesh and Bihar.

(खा) ''महिला कल्याण'' -

(B) "Women's Welfare" -

(क) ''महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम'' - 240.65 लाख रु. की बचत (630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Condensed Courses of Education for Women" - saving of Rs.240.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630.00 lakhs) was due to non- receipt of sufficient number of viable proposals.

(ख) ''कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल'' - 1557.77 लाख रु. की बचत (1798.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने और स्कीम का संशोधन पूरा न होने के कारण हुई।

(b) "Hostels for Working Women" - saving of Rs.1557.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1798.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of viable proposals and non-completion of the revision of scheme.

(ग) ''जागरूकता परियोजनाएं'' - 241.76 लाख रु. की बचत (540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की ब्योरेवार समीक्षा प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

(c) "Awareness Projects" - saving of Rs.241.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.540.00 lakhs) was due to detailed review of the scheme being under process.

(घ) ''प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता'' - 1727.68 लाख रु. की बचत (3330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को जारी रखे जाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने और मानदंडों का संशोधन विचाराधीन होने के कारण हुई।

(d) "Support to Training & Employment Programme(STEP)" – saving of Rs.1727.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3330.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval for the continuation of the scheme and revision of norms being under consideration .

(ङ) ''स्वाधार'' - 306.66 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का संशोधन पूरा न होने के कारण हुई।

(e) "Swadhar" - saving of Rs.306.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to non-completion of the revision of the scheme.

(च) ''महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का सामना करने के लिए व्यापक स्कीम'' - 462.66 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(f) "Comprehensive Scheme for combating trafficking of women and Children" - saving of Rs.462.66 lakhs (against the

तुलना में) पूर्ण और व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of complete and viable proposals.

(छ) ''महिलोन्मुख बजट आयोजना'' - 241.10 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के ब्योरेवार मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(g) "Gender Budgeting" - saving of Rs.241.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to delay in finalisation of detailed guidelines of the scheme and non-receipt of complete proposals.

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(C) "Other Expenditure" -

(क) ''अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी'' - 213.71 लाख रु. की बचत (371.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Research, Publication and Monitoring" - saving of Rs.213.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.371.00 lakhs);

(ख) ''विविध स्कीमें'' - 465.62 लाख रु. की बचत (620.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Miscellaneous Schemes" - saving of Rs.465.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.620.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के सामाजिक अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' के अंतर्गत 107.69 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "3602- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare – Correctional Services- Prevention & Control of Juvenile Social Maladjustments" - saving of Rs.107.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of sufficient number of viable proposals.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 69.10 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs.69.10 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (442.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - बाल कल्याण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.442.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head '2235" – "Social Welfare – Child Welfare" – under the following heads:-

(का) ''आवारा बच्चों के लिए स्कीम'' - 234.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 233.35 लाख रु. था।

(खा) ''देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम'' - 208.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 207.03 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, जन शिक्षा और प्रकाशन'' - 725.16 लाख रु. का अधिक व्यय (4320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 71683.76 लाख रु. का अधिक व्यय (558900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के सामाजिक अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 441.60 लाख रु. का अधिक व्यय (1580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 2383.33 लाख रु. का अधिक व्यय (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को अधिक मानदेय अदा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Scheme for Street Children" – Rs.234.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.233.35 lakhs.

(B) "Scheme for Welfare of Working Children in need of care and protection" – Rs.208.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.207.03 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare – Other Expenditure - Information, Mass Education and Publication" - excess of Rs.725.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4320.00 lakhs);

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Social Welfare – Child Welfare-Integrated Child Development Services" – excess of Rs.71683.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.558900.00 lakhs); and

(b) "Social Welfare – Correctional Services-Prevention and Control and Juvenile Social Maladjustment" - excess of Rs.441.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1580.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Social Welfare – Child Welfare – Integrated Child Development Services" – excess of Rs.2383.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to pay enhanced honoraria for Anganwadi Workers and Helpers and implementation of 6th Central Pay Commission Report.